न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 8/2022 (अपील)

कन्हीराम आत्मज बाला जाति धाकड निवासी नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 10.11.2021 मि0नं0 217/2021 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

जिला कलक्टर कोटा

निर्णय

दिनांकः–31.05.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम नालोदिया की भूमि खसरा नम्बर 874 की 1.00 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्मी मानते हुए प्रकरण संख्या 217/2021 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 250/– रूपये की शास्ति एवं एक माह (30 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 10.11.2021 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 07.02.2022 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम नालोदिया आराजी खसरा नं0 874 की रकबा 1.00 हे0 पर सम्वत 2076 में कब्जा कोट करने की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्मी के आरोप में लगान का पचास गुना तावान 250/– कायम कर दिया तथा पश्चातवर्ती अतिक्मी के आरोप में तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है । अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । अदालत मातहत ने आस पास के व्यक्तियों के बयान लेख बद्व किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । हुक्म जैर अपील अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही पारित किया है । अपीलान्ट का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है व अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया है ।अदालत मातहत ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसका सर्वप्रथम ज्ञान पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफ्तार करने गांव में आने पर व गिरफ्तार करने व जमानत कराने पर हुआ । इस प्रकार दिनांक 2.2.2022 को अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 3.2.2022 को निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं है कब्जा छोड दिया है अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है तथा अपीलान्ट का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है कब्जा छोड़ दिया है । हुक्म जैर अपील अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। गत वर्ष भी अतिक्रमी अपीलान्ट को मि0नं0 316/2020 दिनांक 10.11.2020 से बेदखल किया गया है । रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.112021 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 07.02. 2021 को पेश की गई, अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि कन्हीराम पुत्र बाला जाति धाकड, निवासी ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम नालोदिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 874 रकवा 1.00 हैक्टेयर चारागाह में अनाधिकृत कब्जा कोटा किया हुआ है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली के आदेश करते हुए 250/- रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 01 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलांट का कथन कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती का नोटिस नहीं दिया गया है तथा सुनवाई का अवसर नही दिया गया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है जो बाद तामिल पत्रावली में मौजूद है तथा गत वर्ष भी मि0नं0 378/2020 निर्णय दिनांक 9.11.2020 से बेदखल किया गया था । इस प्रकार अपीलान्ट का अतिकमण पश्चातवर्ती अतिकमण साबित होता है ।

7. अतः ग्राम नालोदिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 874 रकवा 1.00 हैक्टेयर पर पश्चातवर्ती अतिकमण साबित होने से तथा अपील स्वीकार करने हेतु ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 5.10.2021 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा